


OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



Diwakar Parsad Sharma Joining Letter

कार्यालय सचिव जनभागीदारी समिति
कावालय सायप जनगानायार राजा
शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.
- Dir 04:12:4041
प्रति ००० —
नाम - श्री 17.01.05.2 21.71
पिता/प्रति की अवस्थित शामी
पता- शाक्ष्मा विकासम् प्रस्ता तहा तहा है। हिंदी है कि प्रस्ता है कि प्रस्त है कि प्रस्ता है कि प्रस्त है कि प्रस्ता है कि प्रस्त
विषय:—अतिथि विद्वानों को सत्र 2021–22 के लिए आमंत्रण।
संदर्भ:-1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भापाल का पत्र प्र. 350/ 550/
ਿਕਾਰ 30.06.2021
2.पत्र क्र.483/166/आईटी/आउशि/2021, भोपाल दिनांक11.11.2021 विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के परिपालन में आपको शास्त्र किया जाता है।
गुर्वित पूर्वों के परिपालन में आपको आधि दुवा है।
विषयातगत एतद द्वारा उपाय निर्माण निर्म
विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संवर्भित पत्रों के परिपालन में आपकी
यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:- 1. यह आमंत्रण सत्र 2021-22 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक/ग्रंथपाल/ क्रीड़ाधिकारी की
1. यह आमंत्रण सत्र 2021-22 ने प्रिया । पदस्थापना / नियुक्ति होने तक के लिए होगा।
र के कीच दित्य के अंदर (कावारावान गर्न)
2. आपको महाविद्यालय में तीन विचेत पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा। तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा।
तिथि तक उपास्थात न दन पर निर्माण पति सप्ताह न्यूनतम ४० घंटे उपस्थित रहना अनिवाय होगा। विपास
तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा। तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा। 3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम् 05 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम् 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम् 16 घंटे का अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम् 16 घंटे का
अनुसार प्रतिदिवस आसत । पट का कार्यामान रेमेडिलय क्लासेज आदि न ना रियान
प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके आतारका देवुंडात्वर में वृद्धि। जा सकती है। कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि। जा सकती है। कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि। जा सकती है।
कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि। जो संवर्धा हो। कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि। जो संवर्धिक 5.1 के अनुसार होगा। 4. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनाक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 के अनुसार होगा।
०० मिला का मानदेश शासन का मानदेश शासन का मानदेश शासन का मानदेश स्थापन का म
- ज्यातार 15 कार्य दिवस में अनुपारका रहें ।
6. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व पूर्व में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य
शासकीय / अद्धेशसिकाय / अस्तिस्वर्धि के आदेश एफ 1-42 / 2017 / 38-1 नापाल विकास
7 mine 14 m 14 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1
आपको में प्रित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में संवीप देनी होगी। 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में संवीपत याचिकाओं में पारित होने यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संवीपत याचिकाओं में पारित होने यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अविथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संवीपत याचिकाओं में पारित होने
9 यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय ने अल्याचीन रहेगा।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।
TOWICH AL
प्राचीत्राभिद्धिति क्रिक्सियः क्
जनमा जिल्ला मान्तिला महाकुर्व पुरुष
Dist. Anupper (कार्य) अनूपपुर, दिनांक 07.12.2021
12.7 /2.21
9.50.7 / 2021
प्रतिलिप- 1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
्र कार्यालयीन प्रति।
2. कार्यालयीन प्रति। प्राचीलयीन प्रति। प्राचीलयीन प्रति। प्राचीलयीन प्रति। प्राचीलयीन प्रति।
2. कार्यालयीन प्रति। प्रामिशि प्रित्व Anuppur जनमा प्रामिति प्रति निर्मित महावे भन्पपुर Distr. Anuppur
All District
DINCIPAL ADUPPUT
File College (M.P.)
PRINCIPAL Anuppur Govt. Tulsi College (M.P.) Distt. Anuppur (M.P.)
Diam